सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र के राज्यपाल

माननीय श्री. मोहम्मद फज़ल

का

अभिभाषण

महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल का मुम्बई में संयुक्त अधिवेशन

१५ मार्च २००४

माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यगण,

वर्ष २००४ के राज्य विधानमंडल के इस प्रथम सत्र में, आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है।

२. श्री. शंकरराव चव्हाण, महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री के हाल ही में हुए दुखद निधन से, हमारे राज्य को भारी क्षति पहुँची है। उनके निधन से, राष्ट्र ने एक कुशल प्रशासक और एक सख्त अनुशासनकर्ता को खोया है। मैं उनकी स्मृति में उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं राज्य विधानमंडल के सदस्यों जिनका २००३-०४ में निधन हुआ है, उन्हें भी उनकी स्मृति में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और पिछले अगस्त मुंबई में, लगातार हुए बम विस्फोटों में जिन बदनसीब पुरूषों, महिलाओं और बच्चों ने अपनी जान गवायी उन्हें भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

३. इस वर्ष महाराष्ट्र को कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है। राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार चार वर्ष बारिश नहीं हुई जिसका प्रतिकूल असर लोगों की आजीविका, संपत्ति और कृषिक उत्पादन पर हुआ है। राज्य के कई जिलों को कई महीनों से, विकट पेयजल की समस्या और चारे की कमी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को गंभीर नकदी की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है। फिर भी, मेरी सरकार का दृढ़ संकल्प है कि वह इन समस्याओं का कामयाबीपूर्वक हल निकालने में सफल होगी। पिछले अगस्त, मुंबई में हुए लगातार बम विस्फोटों के बाद थोडे समय में ही सामान्य स्थिति बरकरार की गई थी जिसकी सभी स्तरों पर प्रशंसा हुई थी। कमजोर वर्गो के लिये, सामाजिक न्याय समेत सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये विभिन्न क्षेत्रों में कारगर उपायों द्वारा, मेरा राज्य देश में अपना अग्रणी स्थान बनाये रखेगा।

४. राज्य पुलिस ने, अन्य एजेंसियों की मदद से, राज्य की आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर कारगर नियंत्रण रखा है और लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा की है।

५. महाराष्ट्र में इस वर्ष सूखे की स्थिति अभूतपूर्व रही है। इस वर्ष भी पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाडा में बरसात नहीं हुई है, इससे कृषि कार्यों में रूकावटें पैदा हुई है और पेयजल तथा चारे की भारी कमी हुई है। कुल मिलाकर ११ जिलों के ७१ तालुका सूखे की चपेट में हैं, यह स्थिति बदतर हो सकती है।

६. मेरी सरकार ने राहत उपाय पूरे जोर से चलाये हैं। रोजगार गारन्टी योजना, बहुत जरूरी ग्रामीण रोजगार पैदा करती है। सूखा प्रभावित जिलों में करीबन ७.५ लाख कर्मकार और संपूर्ण राज्य में ९ लाख कर्मकार रोजगार गारंटी योजना के तहत् कार्यरत हैं। यह संख्या करीबन ५०,००० प्रति सप्ताह बढ़ रही है। पर्याप्त रोजगार पैदा करने के लिये, रोजगार गारंटी मानकों को शिथिल किया गया है। अतिरिक्त जल संरक्षण के उपाय भी किये गये हैं। अन्य प्रमुख उपायों में, टैंकर के जरिए, पेयजल की व्यवस्था करना शामिल है और बडे पैमाने पर पशु कैम्प बनाने का प्रावधान है। पर्याप्त बारिश के होने और कृषिक कार्य के दोबारा शुरू होने से स्थिति में सुधार होने तक, सूखा राहत उपाय जारी रहेंगे।

७. अब तक, मेरी सरकार ने १,२८९ करोड़ रूपये सूखा राहत उपायों पर खर्च किये हैं। मेरी सरकार ने १,७१२ करोड़ रूपयों की केन्द्रीय सहायता और १० लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न का अनुरोध किया था। अब तक, भारत सरकार ने सूखे से राहत के लिये ७७ करोड़ और ४ लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न मंजूर किया है। मेरी सरकार, अतिरिक्त सहायता के लिये भारत सरकार से लगातार माँग कर रही है। सूखे से निबटना हमारे लिये चुनौतीपूर्ण हुआ है और मेरी सरकार, उसका कामयाबीपूर्ण सामना करने के लिए हर संभव

कदम उठा रही है। मैंने सूखा प्रभावित इलाकों का दौरा किया है और मैने खुद उसकी गंभीरता को महसूस किया है। आम लोगों की कठिनाईयाँ दूर करने के लिये मैंने केन्द्र से अधिक वित्तीय सहायता का सुझाव दिया है।

८. राज्य में ऊर्जा की कमी से निबटने के लिये मेरी सरकार ने अतिरिक्त ५०० मेगावॉट क्षमता की परळी और पारस में प्रत्येक २५० मेगावॉट क्षमता की योजना स्थापित करने का निर्णय लिया है।

९. महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड ने पारेषण और वितरण नुकसान को कम करने, संग्रहण की दक्षता बढ़ाने और सेवा के दरजे में सुधार लाने के लिये, एक व्यापक कार्यक्रम उपक्रमित किया है। पारेषण और वितरण का नुकसान ३ प्रतिशत घटा है।

१०. मेरी सरकार ने किसानों को सूखा और अन्य आर्थिक कठिनाईयों से राहत दिलाने के लिये "कृषि संजीवनी योजना" नामक एक नवीन योजना की शुरूआत की है। पिछले बिजली के देयों की माफी की इस योजना को, कृषिक उपभोक्ताओं का उत्साहपूर्ण प्रतिसाद रहा है।

११. महाराष्ट्र, देश के प्रमुख औद्योगिक राज्य के रूप में, अपना अग्रणी स्थान बनाए हुए है। जनवरी से अक्तूबर २००३ की अवधि के दौरान, राज्य ने ११०० प्रस्तावित निवेशकों से प्रस्ताव प्राप्त किये हैं जिनका निवेश ४,४०० करोड़ रूपये है। राज्य ने २५० निवेशकों से, विदेशी सीधे निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त किये हैं जिनका चालू वर्ष के दौरान निवेश ६०० करोड़ रूपये है। सितम्बर २००३ में किये गये लेटेस्ट बिजनेस टूडे सर्वेक्षण में दोबारा इस बात की पुष्टि की गई है कि महाराष्ट्र कारोबार करने के लिए सर्वोत्तम राज्य है।

१२. मेरी सरकार ने, "सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थकारी सेवाएँ नीति २००३" घोषित की है। इस नीति में, अतिरिक्त फर्शी

क्षेत्र सूचकांक, स्टाम्प शुल्क और चुंगी छूट और संपत्ति करों में कमी जैसे कुछ प्रोत्साहनों का प्रावधान किया गया है, जिससे इस क्षेत्र में, महाराष्ट्र की प्रतियोगिता बढ़ेगी जिससे राज्य अपना अग्रणी स्थान बनाये रखने में समर्थ होगा।

१३. राज्य में, ९.२५ लाख हथकरघा है, जिनमें लगभग १८ लाख हथकरघा मालिक और कर्मकार कार्यरत हैं। इस क्षेत्र को, पुनर्जीवित और उसमें नया संचार लाने के लिये, एक व्यापक राहत के पैकेज की घोषणा सरकार ने की है।

१४. मेरी सरकार ने, अनिवार्य सहभागिता सिंचाई प्रबंधन की सरकार की नीति के अनुसरण में, १.४२ लाख हेक्टर कमान क्षेत्र ४५७ जल उपयोगकर्ता संघटनों को सौंपा है। वर्ष २०००-०१ और २००१-०२ का राष्ट्रीय उत्पादकता पुरस्कार क्रमशः अकोला जिले के काटेपूर्णा प्रोजेक्ट और नासिक जिले के वाघाड प्रोजेक्ट को दिया गया है।

१५. जल उपयोगकर्ताओं की सक्रिय सहभागिता से, सिंचाई क्षेत्र में किये गये नीतिगत सुधारों के परिणामस्वरूप वर्ष २००२-०३ में, ३७७ करोड़ रूपयों का रिकार्ड जल कर का संग्रहण हुआ है जिससे रखरखाव और मरम्मतों पर होनेवाला शत प्रतिशत खर्च पूरा किया गया है। इस प्रकार जल प्रभारों की वसूली के जरिए, सिंचाई प्रबंधन पर होनेवाले खर्च को पूरा करनेवाले महाराष्ट्र को, भारत का पहला राज्य बनाने के लिये, मैं राज्य के किसानों और जल उपयोगकर्ताओं को बधाई देता हूँ।

१६. राज्य में पहली बार "प्रकल्प वर्षा" नामक कृत्रिम बादल बनाकर वर्षा करने के प्रयोग से सूखे की तीव्रता कम करने में मदद मिली है और मेरी सरकार इस प्रयोग को जारी रखने का इरादा रखती है।

१७. राज्य के ११ जिलों में, अभूतपूर्व सूखे की स्थिति के कारण, चालू १८ बडे, ७ मध्यम और ७ लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के विशिष्ट घटकों

को पूरा करने और १४८ गौण सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने हेतु, १,४६६ करोड़ रूपयों का एक व्यापक प्रस्ताव तैयार किया गया है। इससे सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल, रोजगार और चारे की आवश्यकताएँ अंशतः पूर्ण होंगी।

१८. २६ जिलों के लिये, ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता की परियोजना जिसका नाम "जलस्वराज्य" है, विश्व बैंक की मंजूरी से शुरूआत की गई है, जिसकी अंदाजन लागत १,३४३ करोड़ रूपये होगी और २,८०० ग्राम पंचायतें जिनमें १,७०० जनजाति पाडा भी शामिल हैं, इससे करीबन ७० लाख लोग लाभान्वित होंगे।

१९. पिछले ३ वर्षों से लगातार सूखे की मार झेलने के कारण हुई पेयजल की कमी का मुकाबला करने के लिए, अक्तूबर २००२ से सितंबर २००३ की अवधि के दौरान, ३२,७७९ गाँवों और वाडियों में और ९६ शहरों में, विभिन्न राहत उपाय किये गये थे, जिसपर १४३.५६ करोड़ रूपये खर्च हुआ है।

२०. लोगों से मिले जबरदस्त प्रतिसाद से, पिछले साल शुरू किये गये संत गाडगेबाबा स्वच्छ शहर अभियान को, मेरी सरकार ने अब प्रत्येक वर्ष, नियमित रूप से, कार्यान्वित करने का निश्चय किया है।

२१. मेरी सरकार द्वारा पिछले वर्ष शुरू की गई यशवंत ग्राम समृद्धि योजना में, २,७२४ ग्राम पंचायतों ने हिस्सा लेकर अपने उत्साह का परिचय दिया है। १११.४६ करोड़ लागत के १,१५५ निर्माण कार्य हाथ में लिये गये हैं।

२२. राज्य की अर्थव्यवस्था के लिये महत्त्वपूर्ण शक्कर क्षेत्र को, मेरी सरकार द्वारा दी गई गारंटी के फलस्वरूप, कारखाने ६० लाख मैट्रिक टन गन्ना पेराई कर सके जिसका लाभ ४.२० लाख किसानों ने उठाया और उनके लिये ३३६ करोड़ रूपये की आय उत्पन्न की गई।

२३. सरकार ने १० लाख मैट्रिक टन तक, शक्कर का स्टॉक परिसमाप्त करने की दृष्टि से, वर्ष २००२-०३ के दौरान, प्रति मैट्रिक टन १,००० रूपयों की दर से, राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों को वित्तीय सहायता देने का भी निर्णय लिया है। इससे शक्कर कारखानों को ब्याज दायित्व और गोदाम प्रभारों में सहायता मिली है।

२४. मेरी सरकार, अपने बकाया ऋण की समस्या का सक्रियता से हल निकालने की कोशिश कर रही है। भारत सरकार से, १४ प्रतिशत की दर से लिया गया ६,१५४.८६ करोड़ रूपये का उच्च लागत का ऋण, २००३-०४ में लौटा दिया गया था। उसीप्रकार से, विशेष प्रयोजन वाहनों का, १,०६४.९१ करोड़ रूपये का एक दूसरा उच्च लागत ऋण भी, उसी वर्ष लौटा दिया था। इस ऋण समाप्ति से प्रतिवर्ष ३०० करोड़ रूपयों की वार्षिक बचत होगी।

२५. पोलियो के उन्मूलन के लिए, मेरी सरकार ने, पोलियों प्रतिरक्षण कार्यक्रम के जरिए, प्रशंसनीय सफलता हासिल की है।

२६. राजर्षि साहू महाराज स्वास्थ्य योजना २००३-०४ से लागू की गई है। इस योजना के तहत् विशेष रूप से, अल्प मानव विकास सूचकांकवाले १५ जिलों में विभिन्न उपकरणों और सामग्रियों से सज्जित ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थाएँ मुहैया की जा रही हैं।

२७. विश्व बैंक की सहायता प्राप्त महाराष्ट्र स्वास्थ्य प्रणाली विकास प्रोजेक्ट के तहत् ७६ ग्रामीण अस्पतालों को सुधार कर ५० और १०० बिस्तरोंवाला अस्पताल किया जा रहा है और अन्य ६० अस्पतालों का नवीकरण और विस्तार किया जा रहा है।

२८. मेरी सरकार, पुरूष वन्ध्यीकरण पद्धति को प्रोत्साहन दे रही है क्योंकि यह परिवार कल्याण का एक सरल और सुरक्षित मार्ग है। सन्

१९९९-२००० में केवल ४,४९९ नसबंदी के मुकाबले, अप्रैल, २००३ से जनवरी, २००४ तक, कुल ३२,१४४ नसबंदी करायी गई थीं।

२९. मेरी सरकार ने, जे.जे.और कामा अस्पतालों को अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित कर उनमें सुधार करने का निर्णय लिया है। इससे गरीब वर्ग के मरीजों का उत्कृष्ट दर्जे का इलाज कराने में मदत मिलेगी।

३०. मेरी सरकार ने, २६ जुलाई, २००३ को राजर्षि शाहू महाराज की वर्षगांठ सामाजिक न्याय दिवस के रूप में सभी जिलों में मनायी है।

३१. मेरी सरकार ने, विकलांगों के ११३ विशेष विद्यालयों के लिए, सहायता-अनुदान मंजूर की है। साथ ही, विकलांग छात्रों के लिए पहली कक्षा से स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति भी पर्याप्त बढायी गई है।

३२. सन् २००३-०४ के दौरान, मेरी सरकार ने, अनुसूचित जाति और विमुक्त जाति, खानाबदोश जनजाति को दी जानेवाली छात्रवृत्ति के अनुक्रम में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए माध्यमिकोत्तर छात्रवृत्ति मंजूर की है। ४ लाख से अधिक छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

३३. मेरी सरकार ने, गरीबी रेखा से नीचे के भूमिहीन जनजाति, अनुसूचित जाति के लोगों और नवबौद्धों के लिए स्थायी जीविकोपार्जन के स्रोत मुहैया कराने के लिए "जनजाति स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता योजना" और "अनुसूचित जाति और नव बौद्ध स्वाभिमान और सामाजिक स्थिति में सुधार योजना" लागू करने का निश्चय किया है जिसके तहत् भूमिहीन जनजातियों, अनुसूचित जनजाति के लोगों और नव-बौद्धों के लिए भूमि खरीद कर उन्हें बांटी जाएगी।

३४. मुंबई के योजनाबद्ध विकास की ओर पहले कदम के रूप में मेरी सरकार ने कुछ प्रोजेक्टों की शुरूआत की है और उन्हें तेजी से कार्यन्वित करने के लिये, केन्द्र सरकार से मदद भी मांगी गई है। मुंबई के गौरवशाली मॅरिन ड्राईव का सौंदर्यीकरण, विद्यमान छत्रपती शिवाजी टर्मिनस का विस्तार और शहर की सड़कों का सुधार ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर पहले ही कार्य शुरू हो चुका है। स्वच्छ मुंबई के प्रयास में, सन् २००४ में महाराष्ट्र सरकार, बृहन्मुंबई नगर निगम, मुंबई पुलिस और रेलवे प्राधिकरण विभिन्न कार्यक्रम हाथ में लेंगे। मेरी सरकार ने मुंबई नगर मूलभूत सुविधा परियोजना, जो कि विश्व बैंक द्वारा निधि दिये गये मुंबई नगर परिवहन परियोजना की पूरक परियोजना है, को भी उपक्रमित करने का निर्णय लिया है जिसकी लगभग २,६४७ करोड़ रूपये लागत होगी।

३५. मेरी सरकार ने, राज्य राजमार्ग और प्रमुख जिला मार्ग को सुधारने का एक कार्यक्रम हाथ में लिया है। संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में, ६,६२२ किलोमीटर लंबी सडक का सुधार और ३३८ पुलों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष के दौरान, **नाबार्ड** योजना के तहत् ८७४ किलोमीटर सडकों का सुधार कार्य और १०१ पुलों को पूरा किया जा चुका है। मेरी सरकार ने, निजी क्षेत्रों की सहभागिता से कुछ महत्त्वपूर्ण सडकों और भवन परियोजनाओं को भी हाथ में लिया है। जिसमें २,२०३ करोड़ रूपयों की लागत के १०८ निर्माण कार्य प्रगति पर है और १४,५१५ करोड़ रूपयों की लागत के २६४ निर्माण कार्य, योजना के अलग-अलग चरणों पर हैं।

३६. वाल्मिकी-आंबेडकर आवास योजना के तहत् ३१ दिसम्बर, २००३ तक ५,९७८ आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ऐसा अनुमान है कि ३१ मार्च, २००४ तक कुल दस हजार कोठरियों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जायेगा। मेरी सरकार ने ऐसे और १७ शहरों में भी, वाल्मिकी-आंबेडकर आवास योजना को लागू करने का निश्चय किया है जिनकी आबादी, सन् २००१ की जनगणना के अनुसार, पचास हजार से

ज्यादा है। सरकार के कार्यक्रम के अनुसार, ३१ अक्तूबर, २००४ तक, बिडी कर्मियों के लिए, और दस हजार आवासों का निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना है।

३७. एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती का संपूर्ण विकास सुनिश्चित करने के लिए, निजी क्षेत्र के सहयोग से, ५,६०० करोड़ रूपये की अनुमानित लागतवाली धारावी विकास योजना को मेरी सरकार ने मंजूरी दी है। मलिन बस्ती निवासियों का उसी जगह पर पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए, मेरी सरकार ने ४.०० तक का फर्शी क्षेत्र सूचकांक का भी प्रस्ताव रखा है। इस प्रयोजन के लिए, भारत सरकार भी मेरी सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है और लगभग ५०० करोड़ रूपये की सहायता देने का आश्वासन दिया है।

३८. मलिन बस्ती निवासियों को फोटो पास देकर, उनकी निवास अवधि की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए, मेरी सरकार ने १ जनवरी, २००३ तक मलिन बस्ती निवासी प्रभारों के बकायों के अभित्यजन और उन पर, फोटो पास के लिए २०० रूपये नाममात्र फीस प्रभारित करने का निर्णय लिया है। इस कारण, प्रति मलिन बस्ती निवासी प्रभार ९,८०० रूपयों से घटकर केवल २०० रूपये हुआ है। इस रियायत से अब तक दो लाख मलिन बस्ती निवासियों को फोटो पास की इस सुविधा का लाभ मिला है। इसके अलावा, मलिन बस्ती पुर्नवसन प्राधिकरण के जरिए, राज्य सरकार १.५५ लाख मलिन बस्ती निवासियों को मुफ्त मकान आबंटित करने की योजना को खुले दिल से लागू कर रही है।

३९. इंदिरा आवास योजना के तहत् दिसम्बर, २००३ के अंत तक ४५,२९४ आवासों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है और ७०,५४७ आवास निर्माणाधीन हैं जिन पर १११.५३ करोड़ रूपये खर्च हुए हैं। मेरी सरकार ने, मजबूत और टिकाऊ आवास बनाने के लिए प्रति युनिट अतिरिक्त ८,५०० रूपये उपलब्ध कराए हैं।

४०. अन्नपूर्णा योजना के तहत् एक विशेष मुहिम के जरिए, करीबन ९,००० लाभग्राहियों की तुलना में, १.२ लाख वृद्ध और निराश्रित लाभग्राहियों का पता लगाया गया है और उन्हें प्रति माह दस किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जा रहा है।

४१. चालू वर्ष में, "संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना" के तहत् ४१,५८५ कार्यों को पूरा कर लिया गया है जिससे कुल ३.३७ करोड़ श्रमदिन कार्य का निर्माण हुआ था और सभी को अनाज मिले इस गारंटी के लिए १.९२ लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया गया है।

४२. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के तहत् ५७ जलसंभर प्रोजेक्ट का कार्य पूरा कर लिया गया है और २९६ नए प्रोजेक्ट शुरू किये गये हैं। ऐसा विचार है कि नए प्रोजेक्ट ग्रामपंचायतों द्वारा कार्यान्वित किये जायें। फिलहाल, कुल २,२५४ जलसंभर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है।

४३. मेरी सरकार ने, १०४.७३ करोड़ रूपयों की लागत से, राज्य पुलिस बल और होम गार्डस् के शीघ्र आधुनिकीकरण का अपना कार्यक्रम जारी रखा है। कानून लागू करना और राज्य फोरेन्सिक प्रयोगशालाओं जैसी सहबद्ध एजेंसियों के संपूर्ण विकास और उन्हें सशक्त बनाने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

४४. मेरी सरकार ने, स्वयं सहायता दल के जरिए महिलाओं को सशक्त करने के लिए उन्हें संगठित करने का निश्चय किया है। विशेष घटक योजना, जनजाति उप-योजना और स्वर्णजयंती ग्रामीण स्व-रोजगार योजना के तहत् स्वयं सहायता दल का गठन किया जा रहा है। हस्तकौशल आधारित प्रशिक्षण और उद्यमकर्ता बनाने का प्रशिक्षण देने के लिए, महिला आर्थिक विकास महामंडल के जरिए प्रत्येक जिले में आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का निश्चय किया गया है।

४५. बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए और उनकी सुरक्षा और उचित विकास की सुनिश्चिती के लिए, मेरी सरकार ने, हाल ही में, राज्य बाल अधिकार आयोग गठित करने का निर्णय लिया है और इस प्रयोजनार्थ शीघ्र ही उपयुक्त कानून बनाया जाएगा।

४६. मेरी सरकार ने, राज्य के सबसे पिछड़े जिले, नंदुरबार जिले के धडगांव और अक्कलकुआ तालुका के विकास के लिए, २१९ करोड़ रूपये की लागत का एक विशेष प्रोजे़क्ट तैयार किया है।

४७. कम कृषि उत्पादकता, रोजगार के अवसरों की कमी और स्थानान्तरण की समस्या को हल करने के लिए, मेरी सरकार ने, "जन उत्कर्ष कार्यक्रम" नामक एक एकीकृत कार्यक्रम को मंजूरी दी है, जिसे ५२, ५०० जनजाति परिवारों वाले, जिसमें ४०, ५०० आदिवासी किसान हैं और १२,००० भूमिहीन हैं, १५ जनजाति जिलों के ५० तालुकाओं में लागू किया जायेगा।

४८. ग्रामीण स्तर पर, निवारक, समर्थक और उपचारी स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करने की दृष्टि से, जिसमें महिला और बाल अस्वस्थता और मृत्यु दर कम करने और संसर्गजन्य रोगों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। मेरी सरकार ने, पुरातन जनजाति गांवों को वरीयता देकर, ७ जिलों के १२ तालुकाओं में जनजातियों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य प्रोजेक्ट लागू करने का निश्चय किया है।

४९. मेरी सरकार ने, मातृत्व सुविधा, अति जोखिम भरी स्थिति वाली माताओं को और तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कुपोषण के शिकार बच्चों को दवाइयाँ देना तथा सभी जनजाति जिलों के दुर्गम क्षेत्रों में अवैतनिक डाक्टरों की नियुक्ति की योजना को विस्तारित करने का एक महत्त्वाकांक्षी निर्णय लिया है।

५०. पिछड़े वर्गों के छात्रों को निजी चिकित्सा संस्थाओं में चिकित्सा शिक्षा का लाभ मिल सके इसलिये, मेरी सरकार ने, अनुसूचित जाति,

अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जातियों और खानाबदोश जनजातियों और विशेष पिछड़े वर्ग के छात्रों को फीस का संपूर्ण प्रतिदाय और अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को फीस का आंशिक प्रतिदाय देने का निर्णय लिया है।

५१. मेरी सरकार ने, कृषि विद्यालय और कृषि महाविद्यालय शुरू करने के लिए, निजी शैक्षणिक संस्थाओं को अनुमति देने का निर्णय लिया है। सरकार ने, अकादमिक वर्ष २००३-०४ से, राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों की छात्राओं के लिए, स्नातकपूर्व, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में, शिक्षा फीस और छात्रावास फीस के लिए सहायता-अनुदान मंजूर करने का भी निश्चय किया है।

५२. छात्र पूरी शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसकी सुनिश्चिती के लिए, मेरी सरकार ने, आरोग्य विज्ञान पाठ्यक्रमों के छात्रों के माता-पिता को ५ लाख रूपयों के बीमा के अन्तर्गत लाने के लिए, सन् २००३-०४ से "अमर्त्य शिक्षा योजना " नामक एक योजना शुरू की है, ७,८०० छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

५३. राज्य के प्राथमिक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर की पढाई करनेवाले करीबन २.१८ लाख छात्रों को २४ घंटे दुर्घटना बीमा में सम्मिलित करने के लिए, मेरी सरकार ने, २० अगस्त २००३ से, राजीव गांधी छात्र सुरक्षा बीमा योजना शुरू की है और इस प्रयोजन के लिए, अब तक २.८५ करोड़ रूपयों का प्रीमियम अदा किया है।

५४. एस.एस.सी. और एच.एस.सी. परीक्षा के छात्रों को जानकारी देने हेतु, सरकार द्वारा प्रकाशित मुख्यमंत्री करिअर मार्गदर्शन योजना पुस्तिका प्रत्येक उच्चमाध्यमिक विद्यालय में वितरित की गई है और राज्य सरकार की वेबसाईट पर भी जानकारी दी गई है। प्रभागीय स्तर पर, मार्गदर्शन व्याख्यानों की भी व्यवस्था की गयी है।

५५. मान्यताप्राप्त सहायता पानेवाले और अंशतः सहायता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा १ से कक्षा ८ में पढनेवाली सभी छात्राओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सभी छात्रों को और साथ ही स्थानीय निकायों द्वारा चलाये जानेवाली वस्तीशाला और विद्यालयों के छात्रों के लिए भी, अकादमिक वर्ष २००३-०४ के प्रथम दिन से निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों की व्यवस्था की गई थी। इससे लगभग ९३.९२ लाख छात्रों को लाभ मिला है जिस पर ५३.७० करोड़ रूपये खर्च हुए हैं।

५६. विश्व प्रतियोगिता का सामना करने के लिए, मेरी सरकार ने, स्वयं वित्तीयन निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है।

५७. मेरी सरकार द्वारा स्थापित महाराष्ट्र ज्ञान निगम लिमिटेड ने सन् २००३-०४ में पूरे राज्य में १,००० अतिरिक्त कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित किए हैं, इससे इन केन्द्रों की कुल संख्या ३,००० हो गई है और इन केन्द्रों के जरिए ५ लाख से अधिक प्रशिक्षु कम्प्यूटर साक्षर बन गये हैं।

५८. महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु-सीमा की शर्त अब हटा ली गई है।

५९. सरकार ने, सार्वजनिक हित के लिए, अत्याधुनिक प्लेनेटेरिअम प्रणाली खरीदने के लिए नेहरू सेंटर, मुम्बई को ३.२९ करोड़ रूपये सहायता अनुदान मंजूर किये हैं। इस प्रणाली ने अक्तूबर, २००३ से कार्य करना शुरू कर दिया है।

६०. राज्य में पर्यटन को बढावा देने के लिये, विश्वस्तर के सुख-साधन से सम्पन्न डेक्कन ओडिसी को, हाल ही में, हरी झंडी दिखाकर शुरू किया गया है।

६१. मेरी सरकार, इस बात के लिए बेहद उत्सुक है कि हमारे खिलाडी ओलम्पिक, अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में सर्वोत्तम खेल

का प्रदर्शन करें। इसलिए हमने राज्य के विभिन्न भागों में एक मजबूत खेल मूलभूत सुविधा विकसित करने का निश्चय किया है। उनत्तीस जिला क्रीड़ा संकुल, जिन पर हरेक पर ४ करोड़ रूपये खर्च होंगे और २०९ तालुका क्रीड़ा संकुल जिन पर हरेक पर २५ लाख रूपये खर्च होंगे, निर्माणाधीन है।

६२. मेरी सरकार ने, विश्व के विभिन्न विषयों पर महत्त्वपूर्ण जानकारी देने वाली तथ्यों की पुस्तिका मराठी विश्वकोश वार्षिकी, २००४ के प्रकाशन के लिए मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडल के लिए २ करोड़ रूपये के ब्याज रहित कर्ज को मंजूरी दी है।

६३. भारत सरकार ने, सन् २००३ में इ-तत्परता सूचकांक के आधार पर, महाराष्ट्र को एक अग्रणी राज्य घोषित किया है। इसके अलावा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रथम विजेता पुरस्कार से सम्मानित करके, राज्य को उसके सर्व सामान्य सूचना प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के लिए मान्यता भी दी गई है। महाराष्ट्र सरकार की कार्यालयीन वेबसाईट को गोल्डन आयकॉन प्रथम पुरस्कार मिला था और पंजीकरण विभाग के सरिता प्रोजेक्ट को भी नवम्बर, २००३ में केन्द्र सरकार की ओर से, गोल्डन आयकॉन प्रथम पुरस्कार मिला था।

६४. मेरी सरकार ने, वर्ष २००३-०४ के दौरान, राज्य में ५ अधीनस्थ न्यायालय स्थापित किये हैं। राज्य में, विद्यमान १०३ शीघ्रता से न्याय देनेवाले (Fast Track) न्यायालयों के अलावा, इस वर्ष ८४ अतिरिक्त शीघ्रता से न्याय देने वाले न्यायालय स्थापित किये गये हैं। शीघ्रता से मामले निपटाने वाले न्यायालयों की योजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करने वाला, महाराष्ट्र राज्य एक अग्रणी राज्य है और इसे केन्द्र सरकार और साथ ही उच्चतम न्यायालय, दोनों से पुरस्कार मिला है।

६५. श्रमिक विवादों को शीघ्रता से निपटाने के लिए, राज्य में पिछले वर्ष पांच नए औद्योगिक न्यायालयों और पांच नए श्रम न्यायालयों की स्थापना की गई है।

६६. मेरी सरकार ने, लंबे अरसे से अनिर्णित महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमा विवाद को सुलझाने के लिए, इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद १३१ के तहत् उच्चतम न्यायालय में ले जाने का निर्णय लिया है, आगे, विशेष सिविल वाद दाखिल करने की ठोस कार्यवाही की प्रक्रिया तेजी से की जा रही है।

६७. सम्माननीय सदस्यों, वर्तमान सत्र के दौरान आपको, आपके समक्ष पेश किये जाने वाली सन् २००३-०४ की अनुपूरक मांगों, अंतरीम बजट २००४-०५, लेखानुदान और अन्य अत्यावश्यक सरकारी कामकाज पर विचार-विमर्श करना है।

इस सत्र में, मैं आपके विचार-विमर्श में सफलता की कामना करता हूँ।

जय हिंद। जय महाराष्ट्र।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई